



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर गौकश घायल अभियुक्त सहित कुल 02 गौकश गिरफ्तार, कब्जे कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा/04 जिन्दा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गौकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनेती, अवैध नशे के कारोबार आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गरस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 17.08.2026 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा ग्राम मोरा को जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग की जा रही थी तभी देवबन्द की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया, पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने लगे, हडबडाहट में मोटरसाइकिल अचानक से फिसल कर गिर गई, पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए, आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 01 साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया, जिनकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा लगातार काबिंग की गयी। घायल बदमाश की पहचान **आमिर पुत्र खालिक निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 03 जिंदा/02 खोखा कारतूस, बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल व गोकशी के उपकरण बरामद हुए। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी नानौता में भर्ती कराया गया। फरार अभियुक्त को काम्बिल के दौरान पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान **आरिफ पुत्र सगीर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से **01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। **गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/26 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के मुकदमें में वांछित चल रहे थे।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 211/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- आमिर पुत्र खालिक निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 2- आरिफ पुत्र सगीर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा .315 बोर, 03 जिंदा/02 खोखा कारतूस (अभियुक्त आमिर से)
- 01 तमंचा .315 बोर 01 जिंदा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त आरिफ से)
- 01 कुल्हाड़ी, 03 छुरी/चाकू, 01 लकड़ी का गुटका 08 छोटी बडी रस्सी (गोकशी के उपकरण)

➤ 01 स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्त आमिर का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 0001/2020 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 0188/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 0310/2013 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 210/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 211/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 0001/2020 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 0188/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 0002/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 0114/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 202/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 6- मु0अ0सं0 210/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 211/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री सतीश चन्द थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 4- हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- कां0 248 अंकित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 6- कां0 1198 अनिल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 17.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.08.2026 को वादी सहबान पुत्र मु0 इमरान निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अभियुक्त मनव्वर पुत्र अनवर निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर के द्वारा वादी के पुत्र सलमान का अपने मोबाइल से फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा वादी व वादी के पुत्र सलमान को जान से मरवाने तथा पुलिस केस में फसवाने की धमकी देते हुये 01 लाख रुपये की रंगदारी की मांग करने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 137/26 धारा 308(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.08.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मनव्वर पुत्र अनवर निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर** को ग्राम सतपुरा के बाहर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनव्वर पुत्र अनवर निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।

अभियुक्त मनव्वर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 22/2025 धारा115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
4. का0 2383 राहुल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।



दिनांक- 17.08.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर

वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 12.18 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.08.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त वासिक उर्फ पोल्ला पुत्र असगर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को ग्राम दुमझेडा से नल्हेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12.18 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 297/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत** किया गया। अभियुक्त थाना चिलकाना पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 229/26 धारा 3/8 सीएस एक्ट** में भी वान्छित चल रहा था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

वासिक उर्फ पोल्ला पुत्र असगर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12.18 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त वासिक उर्फ पोल्ला का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 229/26 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है०का० 1111 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. रि०का० 627 सुरजीत थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा चोरी की अलग-अलग घटनाओं का अनावरण करते 04 शातिर

चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी 10 किलो 900 ग्राम कॉपर का तार बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 12.07.2026 को वादी सतेन्द्र कुमार मलिक प्रधानाध्यापक कम्पोजिट विद्यालय धर्मपुर गुर्जर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय से 1.1 केवी का सोलर पैनल व तार चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. दिनांक 03.08.2026 को वादी सुरेन्द्र सैनी पुत्र गणपति सिंह निवासी ग्राम कुरुड़ी थाना देवबंद द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी व निखिल एवं प्रवीन की ट्यूबवेल से तार व मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 557/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
3. दिनांक 16.08.2026 को वादी अदनान पुत्र सफीक अहमद निवासी मौ0 इदगाह रोड़ खानकाह थाना देवबंद द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त भूरा उर्फ मुस्तकीम पुत्र हनीफ द्वारा निर्माणधीन मकान से 25 बण्डल बिजली के तार चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 592/2026 धारा 303(2) बीएनएस में बिजली के तार चोरी हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर चोरी की घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए नामजद व प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण 1.मुस्तकीम उर्फ भूरा पुत्र हनीफ निवासी कोल्हा बस्ती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.उस्मान पुत्र फुरकान निवासी कोल्हा बस्ती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3. मुशर्रफ पुत्र जहीर हसन निवासी मोहल्ला बेरून कोटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 4. आमिर खान पुत्र जमील खान निवासी मोहल्ला पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को चैकिंग के दौरान ग्राम कासिमपुरा जाने वाले रास्ते से चोरी के कापर के तार के साथ साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 10 किलों 900 ग्राम कॉपर का तार बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मुस्तकीम उर्फ भूरा पुत्र हनीफ निवासी कोल्हा बस्ती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उस्मान पुत्र फुरकान निवासी कोल्हा बस्ती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. मुशर्रफ उर्फ मुसरत पुत्र जहीर हसन निवासी मोहल्ला बेरून कोटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. आमिर खान पुत्र जमील खान निवासी मोहल्ला पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 10 किलो 900 ग्राम कॉपर का तार

अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 671/2021 धारा 323/354(क)/504/506 भादवि व ¾ मुस्लिम अधि0 थाना देवबंद, सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 557/2026 धारा 303(2) थाना देवबंद, सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 592/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।

अभियुक्त उस्मान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 250/2022 धारा 380/411/451 भादवि थाना देवबंद, सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 1121/2025 धारा 111/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 557/2026 धारा 303(2) 05- मु0अ0स0 592/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।

अभियुक्त मुशर्रफ उर्फ मुसरत का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 938/2016 धारा 380/411 भादवि थाना देवबंद, सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 794/2025 धारा 112, 303(2), 317(4) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 900/2025 धारा 112, 303(2), 317(4) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 906/2025 112, 303(2), 317(4) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 1135/2025 धारा 112, 303(2), 317(4) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 10/2026 112, 303(2), 317(4) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 557/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 592/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।

अभियुक्त आमिर खान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 785/2019 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना देवबंद, सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 512/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 557/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 592/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबंद, सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1311 अनिल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. का0 2292 बृजेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।



दिनांक: 17-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम अभियुक्तगण 1.अजीत सिंह पुत्र सुभा सिंह 2.प्रवीण पुत्र सुभा सिंह 3.आकाश पुत्र रणदीप सिंह 4.सिंघराज उर्फ हैप्पी पुत्र रणदीप 5.सचिन पुत्र रणदीप निवासीगण गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 310/26 धारा 191(2)/74 /115(2)/ 352/351(2) बीएनएस व 9एम/10 पोक्सो एक्ट के वादी श्री बिजेन्द्र पुत्र नरेश निवासी ग्राम गदरहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की पत्नी के साथ मुकदमा लिखाने को लेकर आमदा फसाद हो रहे थे। शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना के दृष्टिगत रखते हुए सभी अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अजीत सिंह पुत्र सुभा सिंह निवासी गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. प्रवीण पुत्र सुभा सिंह निवासी गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. आकाश पुत्र रणदीप सिंह निवासी गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
4. सिंघराज उर्फ हैप्पी पुत्र रणदीप निवासी गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
5. सचिन पुत्र रणदीप निवासी गदरहेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
4. रि0का0 815 विपिन शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 17-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान वारण्टी अभियुक्त प्रवीण पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर चाँद थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 17985/17 व मु०अ०स० 148/03 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार (श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) में ग्राम शेरपुर चाँद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रवीण पुत्र सत्यपाल सिंह नि शेरपुर चाँद 0थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राय सिंह थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर।
3. का० 2508 सर्वेश थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण 02 शातिर नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गये जेवरात से 01 सिक्का, 01 ढोलना, 05 जोड़ी बिछुआ, 02 छोटे कड़े (सफेद धातु) व 02 अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 19.07.2026 को वादी श्री रोहताश कुमार पुत्र करेशन निवासी ग्राम महमूदपुर थरौली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा रात्री के समय वादी के घर से सोने, चाँदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 335/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. शोकिन पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. परवेज पुत्र आलिम निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को ककराला ईदगाह रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये जेवरात में से 01 सिक्का, 01 ढोलना, 05 जोड़ी बिछुआ, 02 छोटे कड़े (सभी सफेद धातु) व 02 चाकू बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों दोस्त हैं और नशा करने के आदि हैं अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए, छोटी-मोटी चोरी कर लेते हैं। करीब एक महीने पहले हम दोनों ने एक साथ मिलकर ग्राम महमूदपुर में गाँव के बाहर बने एक मकान में से चोरी की थी जहाँ से हमें कुछ जेवर मिले थे, हम लोग उन्हीं जेवरों को बेचने के लिए जा रहे थे। कुछ सामान हमने पहले ही राह चलते एक व्यक्ति को बेच दिया था और सामान बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे हम दोनों ने अपनी नशे की जरूरतों पर खर्च कर दिया है। हम लोग अपने पास चाकू भी रखते हैं ताकि पकड़े जाने पर डराने के काम आ सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शोकीन पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. परवेज पुत्र आलिम निवासी ग्राम ककराला थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद सिक्का सफेद धातु
- 01 अदद ढोलना
- 05 अदद बिछुआ
- 02 अदद कड़े

➤ 02 अदद चाकू नाजायज

अभियुक्त शौकीन का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 667/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 108/20 धारा 188/269/271 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 56/22 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0स0 56/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

अभियुक्त परवेज का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 04/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1157 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2245 अंशु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. का0 234 अरुण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 1369 संघप्रिय गौतम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय 01

जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी/छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगतार गस्त व चौकियों की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2026 को पुलिस टीम द्वारा गस्त व चौकियों के दौरान अभियुक्त **आकिल पुत्र सिकन्दर निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर** को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 – 594/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आकिल पुत्र सिकन्दर निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 बन्टी सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 792 सूर्यप्रकाश देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 773 सचिन कुमार देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 705 अभय सिंह देवबंद जनपद सहारनपुर।



दिनांक 17-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा **एन०डी०पी०एस० एक्ट** के मुकदमें में **अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2015 को वादी उ०नि० मुकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त शेरजमां उर्फ राजा पुत्र अनीस अहमद निवासी चाँद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के कब्जे से 01 किलोग्राम अवैध चरस बरामद होने की सूचना पर मु०अ०सं०-151/2015 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं०-37/2016 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.08.2026 को अभियुक्त शेरजमां उर्फ राजा पुत्र अनीस अहमद निवासी चाँद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को मु०अ०सं०-151/2015 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए.डी.जी.सी.) श्रीमति ऋतु गर्ग ।

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री अरुण कुमार ।

पैरोकार- है.का. 1091 हिमांशु कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।